

(1) सिविल अपील क्रमांक: 21/14

न्यायालय:- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 21/14
संस्थापन दिनांक 16/12/10
फाइलिंग नं-230303000592010

1. छोटेलाल पुत्र मुरारी आयु 53 साल,
निवासी ग्राम चितौरा परगना गोहद
जिला भिण्डअपीलार्थी / प्रतिवादी

बनाम

1. श्रीमती लक्ष्मीबाई पत्नी जगदीश 43 साल,
निवासी ग्राम चितौरा परगना गोहद
- 2- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड म0प्र0
..... प्रत्यर्थी / वादीगण

अपीलार्थी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क0 1 श्री सुनील कांकर अधिवक्ता ।
प्रत्यर्थी क0-2 पूर्व से एक पक्षीय ।

न्यायालय-श्री मनीष शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद, जिला
भिण्ड द्वारा व्यवहारवाद प्रकरण क्रमांक-128 ए/2008 ई.दी. में पारित
निर्णय दिनांक 18/11/2010 से उत्पन्न सिविल अपील ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 16 अक्टूबर 2014 को घोषित किया गया)

1. प्रतिवादी/अपीलार्थी छोटेलाल की ओर से उक्त प्रथम सिविल अपील धारा 96 सी0पी0सी0 के अंतर्गत न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 गोहद श्री मनीष शर्मा द्वारा सिविल वाद प्रकरण क्रमांक 128ए/2008 में पारित निर्णय व आज्ञाप्ति दिनांक 18/11/10 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी का मूल वाद खारिज किया है ।
2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि प्रतिवादी/अपीलार्थी छोटेलाल एवं प्रत्यर्थी/वादी लक्ष्मीबाई दोनों ही अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । लक्ष्मीबाई बेबा है और उनके मध्य फौजदारी मामले भी चल

रहे हैं तथा लक्ष्मीबाई को अहस्तांतरणीय पट्टा विवादित भूमि का हुआ है, जिसपर उसका नाम इन्द्राज हो चुका है, यह भी निर्विवादित है कि पक्षकारों के मध्य पट्टे को लेकर राजस्व न्यायालय में भी मामला व उसकी अपीलें चली हैं, जो निरस्त हो चुके हैं और लक्ष्मीबाई का पट्टा राजस्व न्यायालय ने वैधानिक माना है ।

3. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/प्रतिवादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि वादिया को अनुसूचित जाति की भूमिहीन महिला होने के आधार पर वर्ष 2001 में भूमिस्वामी स्वत्व पर अहस्तांतरणीय पट्टा दिया गया और 5/9/2002 को कब्जा सौंपा गया, जिसके बाद से वह भूमि पर काबिज होकर खेती कर रही है, जिसके बाद दो बार अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया एवं वादिया के हक में पुनः पट्टा जारी किया गया, किन्तु प्रतिवादीगण/अपीलार्थी द्वारा वादिया/प्रत्यर्थी के कब्जे में जबरन दखल दिया जा रहा है, उनके द्वारा निराधार अपीलें पेश की गयीं, जो निरस्त हुईं । इसके बाद 9/6/2008 को अपर आयुक्त चंबल संभाग के यहां से भी निगरानी निरस्त हुई, जिसके विरुद्ध प्रतिवादी ने अन्य कोई कार्यवाही नहीं की तथा 22/6/2008 को प्रतिवादीगण ने जबरन वादिया के कब्जे में दखल उत्पन्न किया, जिससे वादकारण उत्पन्न होना बताया एवं पद क्र.-1 में वर्णित सहायता चाही गयी ।
4. जवाबदावे में प्रतिवादी/अपीलार्थी छोटेलाल ने व्यक्त किया कि वह वर्ष 1984 से विवादित भूमि पर काबिज होकर खेती कर रहा है, जिससे उसे भूमिस्वामी स्वत्व उदभूत हो गये हैं जिस कारण उसके हक में पट्टा जारी किया गया । लेकिन नायब तहसीलदार द्वारा वैधानिक रूप से वादिया के हक में पट्टा जारी किया, जिसके संबंध में वरिष्ठ न्यायालय में अपील भी पेश की है । उक्त पट्टा एवं राजस्व न्यायालय की कार्यवाही उसपर बंधनकारी नहीं है । वादिया द्वारा 3/8/2008 को उसकी फसल नष्ट करने की धमकी दी गयी, तब वादकारण उत्पन्न होना बताया, वादिया के हक में किया गया पट्टा निरस्त किया जावे एवं उसके हक में स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादिया किसी प्रकार से उसके कब्जे में दखल ना दे, जिसके उत्तर में वादिया ने व्यक्त किया कि प्रतिवादी का जमीन से कोई संबंध नहीं है, उसकी उसपर खेती नहीं होती है । वाद सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया ।
5. अपीलार्थी/प्रतिवादी क्र.-1 की ओर से आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. का आवेदनपत्र पेशकर अभिवचन किया है कि वादी/प्रत्यर्थी ने उसके एवं उसके परिवारजनों के विरुद्ध झूठे आपराधिक प्रकरण दर्ज कराये थे, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने सजा दी थी और अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार करते हुए अपीलार्थी व उसके परिवार जनों को दोषमुक्त किया गया । उक्त आदेशों की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की जा रही हैं, जो कि निर्णय के लिए महत्वपूर्ण हैं जिससे निर्णय

में सहयोग मिलेगा व न्यायदान में सहायक होंगे । अतः आवेदनपत्र पेशकर सूची अनुसार दस्तावेज प्रकरण में गृहण किए जाने का निवेदन किया ।

6. उक्त आवेदनपत्र का वादी/प्रत्यर्थीगण की ओर से लिखित विरोध कर व्यक्त किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा जो निवेदन किया है, वह गलत है, क्योंकि यह प्रकरण सिविल नेचर का है एवं प्रस्तुत सत्य प्रतिलिपियां आपराधिक प्रकरण की हैं तथा तथ्य व परिस्थितियों से भिन्न हैं । वह इस स्टेज पर गृहण योग्य नहीं है । अतः आवेदनपत्र सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया ।
7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वाद प्रश्नों की रचना करते हुये विचारण कर गुणदोषों पर दिनांक 18/11/2010 को घोषित निर्णयानुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाते हुये स्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील प्रतिवादी/अपीलार्थी की ओर से पेश कर यह आधार लिया है कि, वृत्त देहगांव में उक्त भूमि के पट्टे के संबंध में कार्यवाही चली तो अपीलार्थी द्वारा आपत्ति पेश कर बताया गया कि 1984 के पूर्व से ही अपीलार्थी/प्रतिवादी का उसपर कब्जा है, जिसे अमान्य करते हुए पूर्णतः विधि विपरीत पट्टा जारी कर दिया । जिसकी अपील एस.डी.ओ. तथा चंबल संभाग आयुक्त के यहां की गयी, उन्होंने उक्त पट्टे को निरस्त कर दिया और जांच हेतु तहसीलदार गोहद वृत्त देहगांव के यहां प्रत्यावर्तित किया, लेकिन तहसीलदार वृत्त देगांव द्वारा कोई जांच नहीं की गयी ना ही किसी पक्ष के कथन लिये गये, ना ही सुनवाई हुई । उक्त तथ्यों को ध्यान में नहीं रखते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में निकाले निष्कर्ष विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल है ।
8. प्रत्यर्थी/वादी ने अपनी साक्ष्य में स्वयं का एवं अपने देवर बैजनाथ तथा जेठ भगवानदास का कथन कराया है, जो गोहद में निवास करते हैं और सभी के गोहद में पक्के मकान है । वादिया गोहद में निवास करती है, जहां के उसके राशन कार्ड है, उसने राजस्व अधिकारियों से मिलकर व राजनैतिक प्रभाव से प्रतिवादी/अपीलार्थी के स्वत्व की भूमि का पट्टा करा लिया है, जिस विधि के सिद्धांत पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी की सबल साक्ष्य को अग्राह्य कर प्रत्यर्थी/वादी की साक्ष्य को विश्वसनीय मानकर वाद स्वीकार करने में विधि एवं तथ्य की गंभीर त्रुटि की है, इसलिये अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री निरस्त की जावे और उसका वाद डिक्री किया जाये तथा प्रकरण व्यय भी दिलाया जाये ।
9. अपील के निराकरण के लिये मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:—

1. क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक 128 ए/08 इ0दी0 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18/11/10 प्रकरण में आई साक्ष्य एवं विधि के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है?
2. क्या वादी/प्रत्यर्थी का मूल वाद खारिज किए जाने योग्य है?
3. क्या, वादीगण/अपीलार्थीगण का आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अंतर्गत दिनांकित-08/09/2014 प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों में स्वीकार योग्य हैं ? यदि हां तो प्रभाव ।

—::— निष्कर्ष के आधार —::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2 एवं 3

10. अभिलेख पर उपलब्ध लेखीय एवं मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्ष की ओर से उठाये गये बिन्दुओं को देखते हुए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण पुनरावृत्ति न हो इस कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
11. आई0ए0 नंबर आवेदनपत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत अपील स्तर पर प्रतिवादी/अपीलार्थी छोटेलाल की ओर से सूची अनुसार दाण्डिक अपील क्रमांक 135/13 निर्णय दिनांक 4/7/14 न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि को प्रकरण के न्यायपूर्ण निराकरण के लिये आवश्यक बताते हुये उसे ग्राह्य किये जाने और अभिलेख पर लिये जाने की प्रार्थना की गई है, जिसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि, हस्तगत प्रकरण की भूमि के संबंध में सिविल विवाद पर से ही आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था, जिसमें अपीलार्थी छोटेलाल भी अभियुक्त था जो दोषमुक्त हो चुका है, और उसका विवादित भूमि पर निरन्तर कब्जा है कभी भी बेदखल नहीं हुआ है, इसलिये उक्त दस्तावेज महत्वपूर्ण होकर ग्राह्य किया जाये जिसके खण्डन में प्रत्यर्थी/वादी लक्ष्मीबाई की ओर से प्रस्तुत जबाव में विरोध किया गया है कि दाण्डिक प्रकरण की विषय वस्तु अलग थी और वर्तमान प्रकरण सिविल प्रकृति का है दोनों के तथ्य अलग है और दस्तावेज भ्रमित करने के उद्देश्य से पेश किया गया है, जो कतई स्वीकार योग्य नहीं है इसलिये आवेदनपत्र निरस्त किया जाये ।
12. आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के प्रावधान के तहत अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में कोई पक्षकार मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर सकता है, लेकिन उसमें जो शर्त है उसके मुताबिक ऐसे दस्तावेजों को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

साक्ष्य में ग्राह्य करने से इंकार किया हो अथवा पक्षकार उसे सम्यक् तत्परतापूर्वक बरतने के बावजूद भी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में पेश ना कर सका हो। तीसरा अपीलीय न्यायालय के द्वारा ऐसी कोई अपेक्षा की गई हो और यदि आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है तो उसके कारणों को लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है।

13. आदेश 41 नियम 27 सी0पी0सी0 के उपबंध के संबंध में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत यशोदा देवी एवं अन्य विरुद्ध कन्हैयालाल 2010 भाग-4 एम0पी0एल0जे0 पेज-494 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अतिरिक्त साक्ष्य के लिये आवेदनपत्रों का निराकरण करते समय मूलतः यह देखा जाना चाहिये कि क्या अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पेश किये जाने वाले दस्तावेजों को अभिलेख पर ग्राह्य किया जाकर न्याय संगत निराकरण किया जा सकता है। तभी उन्हें स्वीकार करने से यदि दस्तावेजों को ग्राह्य किये वगैर उचित न्याय निर्णयन् किया जा सकता हो, तो ऐसे दस्तावेजों को ग्राह्य करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त न्याय दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ यू0पी0 वि0 मनबोधनलाल श्रीवास्तव ए 0आई0आर0-1957 एस0सी0 पेज-912 को अनुसरित करते हुये दिया गया है।
14. प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया जो कि, दाण्डिक मामलों के पक्षकार ही रहे हैं, किन्तु यह सुस्थापित विधि है कि किसी भी दण्ड न्यायालय का निष्कर्ष दीवानी न्यायालय पर बंधनकारी प्रभाव नहीं रखता है, और यह भी सुस्थापित विधि है कि सिविल मामलों का निराकरण प्रबल संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है, ना कि संदेह के आधार पर जब कि दाण्डिक विचारण में निर्णय करते समय अभियोजन पर अपने मामलों को युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का भार होता है, ऐसी स्थिति में दण्ड न्यायालय का निष्कर्ष सिविल न्यायालय पर बंधनकारी नहीं माना जा सकता है।
15. उक्त स्थिति में आवेदनपत्र के माध्यम से जो दस्तावेज के रूप में निर्णय की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि पेश की है, उससे हस्तगत सिविल मामलों की विषय वस्तु के संबंध में निष्कर्ष प्राप्त करने में कोई सहायता प्राप्त होना नहीं पाया जाता है, ऐसी स्थिति में उक्त आवेदनपत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।
16. ऐसे में आवेदनपत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है, तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ही न्याय दृष्टांत रंगलाल वि0 राधेश्याम 1995 भाग-1 एम0पी0 वीकली नोट शार्टनोट-195 में यह भी प्रतिपादित किया गया है कि यदि पेश किये जाने वाले अतिरिक्त दस्तावेजों से भी मामला स्थिर नहीं हो तो उन्हें प्रस्तुत किया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिये। फलतः वाद

विचार निरस्त किया जाता है ।

17. जहां तक मूल अपील का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परीशीलन करने पर यह स्पष्ट है कि, मूल वाद प्रत्यर्थी/वादी लक्ष्मीबाई की ओर से प्र०पी०-1 के पट्टे के आधार पर स्वत्व घोषणा और स्थाई निषेधाज्ञा बावत मूलतः अपीलार्थी/प्रतिवादी छोटेलाल के विरुद्ध पेश किया गया था, जिसमें अपीलार्थी/प्रतिवादी छोटेलाल ने कब्जे के आधार पर प्रतिदावा करते हुये यह सहायता चाही कि लक्ष्मीबाई के पक्ष में जो शासकीय पट्टा हुआ है वह गलत आधारों पर है, क्योंकि लक्ष्मीबाई गोहद की निवासी है । मतदाता सूची में भी उसका नाम है, और ग्राम चितौरा में निवासरत नहीं है गोहद में ही पक्के मकान उसके स्वामित्व के है, जिसमें वह निवास करती है तथा छोटेलाल का सन् 1984 के पूर्व से निरन्तर वास्तविक आधिपत्य होकर वह कृषि कर रहा है, जो भूमिहीन मजदूरी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है इसलिये उसके कब्जे काश्त में लक्ष्मीबाई को स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर हस्तक्षेप करने से रोका जाये, जिसका लक्ष्मीबाई की ओर पेश किये गये रीजोर्नडर (जबाव दावा का जबाव) में विरोध किया गया है ।
18. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने छोटेलाल का प्रतिदावा निरस्त करते हुये लक्ष्मीबाई का वाद पट्टे के आधार पर डिक्री किया है जिसे प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील के माध्यम से छोटेलाल की ओर से चुनौती दी गई है, इसलिये प्रकरण में यह देखना होगा कि क्या लक्ष्मीबाई के गोहद में निवास करने और मतदातासूची में नाम होने के आधार पर उसका पट्टा सिविल न्यायालय द्वारा अमान्य किया जा सकता है या नहीं तथा कब्जे की स्थिति क्या है । मूल वाद दिनांक 8/7/08 को पेश किया गया है, इसलिये दावा प्रस्तुति दिनांक की स्थिति पर विचार करना होगा ।
19. राजस्व न्यायालय में पक्षकारों के मध्य चले प्रकरण एवं अपील अंतिम रूप से विनिश्चित हो चुकी है और राजस्व मण्डल तक निराकरण हुआ है, जिसमें लक्ष्मीबाई का विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 47 मिन रकवा 0.89 हैक्टेयर पर व्यवस्थापन उचित ठहराया गया है, और उसे पात्र होना तथा आधिपत्य में होना भी बताया गया है, और छोटेलाल को व्यवस्थापन का पात्र ना होना अभिनिर्धारित किया गया है, जिसके दस्तावेज भी पेश किये गये हैं । राजस्व मण्डल का अंतिम आदेश दिनांक 3/4/14 भी अभिलेख पर संलग्न है, जिसमें उक्त आशय का निष्कर्ष भी दिया गया है ।
20. अभिलेख पर उभय पक्ष की ओर से मौखिक एवं दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई है, ऐसे में संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने होंगे । वादी/प्रत्यर्थी की ओर से स्वयं लक्ष्मीबाई वा.सा.-1, बैजनाथ वा.सा.-2, भगवानदास वा.सा.-3 के कथन कराये हैं तथा प्र०पी०-1 लगायत प्र०पी०-10 तक के दस्तावेज पेश किये गये हैं ।

अपीलार्थी/प्रतिवादी की और से स्वयं छोटेलाल प्र०सा०-1 के अलावा विनोदसिंह प्र०सा०-2, नारायणसिंह प्र०सा०-3 के अभिसाक्ष्य करते हुये प्र०डी०-1 लगायत प्र०डी०-6 के दस्तावेज पेश किये गये हैं ।

21. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय मुताबिक प्रत्यर्थी/वादी लक्ष्मीबाई को विवादित भूमि का पट्टे के आधार पर भूस्वामी और आधिपत्यधारी होना मानते हुये डिक्री प्रदत्त की है, तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी को भूमिहीन व्यक्ति नहीं माना है इसलिये यह भी देखना होगा कि क्या छोटेलाल भूमिहीन व्यक्ति की श्रेणी में आता है या नहीं ।
22. म०प्र० राजस्व पुस्तिका परिपत्र खण्ड 4 की कंडिका-3 की विधिक स्थिति को देखा जाये तो उसमें कृषि भूमि के बंटन की प्रक्रिया बताई गई है, और कंडिका-1 के मुताबिक म०प्र० में कृषि योग्य भूमि के बंटन के लिये पूर्व में प्रसारित आदेशों को निरस्त करते हुये जो हिदायतें शासन द्वारा जारी की गई हैं तथा उक्त पुस्तिका में कंडिका 1(ड) में भूमिहीन व्यक्ति को परिभाषित किया गया है, जिसके मुताबिक भूमिहीन व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे वास्तविक कृषक या कृषक मजदूर से है जो इस राज्य में 12 वर्ष से निवासी हो तथा जिसके स्वयं के पास अथवा अपने कुटुम्ब के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि ना हो ।
23. " भूमिहीन व्यक्ति" से तात्पर्य ऐसे वास्तविक कृषक व कृषक मजदूर से है जो इस राज्य में कम से कम बारह वर्ष से निवासी हो तथा जिसके स्वयं के पास अथवा अपने कुटुम्ब के सदस्य के साथ संयुक्त रूप से कोई भूमि ना हो" {म०प्र० राज्य विभाग मंत्रालय आदेश क्र०-एफ 4-6/2000/सात 2 ए. दिनांक 1/6/2000 { राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि भविष्य में कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन केवल उन्हीं भूमिहीन व्यक्तियों को किया जाय जो कोई भी भूमि धारित नहीं करते हों साथ ही उन्हें अपात्र मान्य किया जाय जिसने सरकार की पट्टे पर भूमि लेकर अन्तरित कर दी हो}

स्पष्टीकरण- इस कंडिका के प्रयोजन के लिये भूमिहीन व्यक्ति के कुटुम्ब में वह स्वयं उसकी पत्नी या पति, पुत्र अविवाहित पुत्रिया, माता व पिता तथा सगे और सोतेले भाई माने जायेगे"

भूमिहीन व्यक्ति वर्ग-2:- भूमिहीन व्यक्ति वर्ग-2 के तात्पर्य ऐसे वास्तविक कृषक व कृषक मजदूर से है जो कि इस राज्य में कम से कम 12 वर्षों से निवासी हो तथा जिसके पास

- (1) कोई भूमि ना हो, अथवा
- (2) पहाड़ी अथवा पथरीली भूमि में से एक हैक्टर या उससे कम असिंचित भूमि, अथवा

(3) अन्य प्रकार की भूमि में 1/2 हैक्टर या उससे कम असिंचित भूमि हो, अथवा

(4) अपने परिवार के सदस्य के साथ संयुक्त रूप से उपयुक्त (दो) अथवा (तीन) जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत निर्धारित रकबे से कम भूमि हो, अथवा

(5) अपने परिवार के सदस्यों को छोड़कर अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऐसी भूमि, जिसमें उसका व्यक्तिगत हिस्सा उपयुक्त (दो) अथवा (तीन) जैसी स्थिति हो, के अंतर्गत निर्धारित रकबे से कम हो ।

एक— भूमिहीन व्यक्ति: वर्ग-2 के उपबंधों के प्रयोजन के लिये एक हैक्टर सिंचित भूमि 2 हेक्टर असिंचित भूमि के बराबर मानी जावेगी ।

दो— व्यक्ति के परिवार में उसकी पत्नी या पति, अव्यस्क बच्चे और ऐसे माता पिता जो उसके साथ रहते हैं और उस पर आश्रित हो, शामिल है ।

तीन— यदि किसी व्यक्ति के पास उसके परिवार के सदस्यों के साथ और ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ जो उसके परिवार के सदस्य नहीं हो भले ही उस अन्य व्यक्ति का परिवार हो या नहीं हो, संयुक्त रूप से भूमि हो तो ऐसे अन्य व्यक्ति का हिस्सा इस रूप में माना जावेगा मानों कि वह एक अलग व्यक्ति हो ।

चार— किसी परिवार में एक से अधिक भूमिहीन पात्र होने पर एक से अधिक पात्रों को भूमि प्राप्त करने का तभी अधिकार होगा जब कि उसी ग्राम के भूमिहीन व्यक्ति :वर्ग-1 के व्यक्तियों को भूमि बंटित करने के पश्चात कोई कृषि भूमि शेष रहे ।

पांच— संयुक्त परिवार के मामले में परिवार के वयस्क पुत्र/पुत्री को भी पृथक परिवार मानकर पात्रता के आधार पर भूमि आबंटित की जा सकेगी ।

कांडिका-5 बंटन की सीमा—भूमिहीन व्यक्ति को अधिकतम एक हेक्टर सिंचित भूमि अथवा दो हेक्टर असिंचित भूमि आबंटित की जा सकेगी, इस सीमा में 0.10 हेक्टर भूमि की कमी-बेशी की जा सकेगी : परन्तु यदि उस ग्राम तथा निकटतम ग्राम में उपलब्ध भूमि पर्याप्त मात्रा में न हो तो पात्रता रखने वाले अधिक से अधिक व्यक्तियों को भूमि बंटन करने का प्रयास इस तरह किया जायेगा कि बंटिती के आधा हेक्टर भूमि से कम भूमि न हो ।

24. प्रतिवादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मूलतः अपील में यह बिन्दु उठाया गया है कि, छोटेलाल अनुसूचित जाति का होकर भूमिहीन कृषि मजदूर है, और सन् 1984 से पहले उसका विवादित भूमि पर आधिपत्य है, और वह लगातार कृषि कर रहा है, और उसे अभी बेदखल नहीं किया गया है, तथा लक्ष्मीबाई को अभी भी भूमि पर कब्जा

प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि कब्जा वारंट जारी नहीं हुआ है, और छोटेलाल ने जो पट्टे के लिये आवेदन किया था, उस पर राजस्व न्यायालय ने कोई विचार नहीं किया है, ना कोई कार्यवाही की तथा उसे लंबित रखते हुये लक्ष्मीबाई को बिना जांच के पट्टा कर दिया जब कि वह अपात्र है। पट्टे की उनके द्वारा अपील की गई थी, जिसमें पुनः जांच का आदेश दिया गया था, किन्तु तहसीलदार द्वारा बिना जांच किये ही पुनः पट्टा जारी कर दिया, और राजस्व न्यायालय ने अपील खारिज कर दी जिससे सिविल वाद की कार्यवाही करना पड़ी है।

25. जब कि वादी/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों में खण्डन करते हुये इस बात पर बल दिया है कि, लक्ष्मीबाई भी अनुसूचित जाति की सदस्य होकर विधवा महिला है, और उसे विधिवत तहसील से प्रकरण क्रमांक 26/2001-2002अ-19 आदेश दिनांक 24/11/01 के द्वारा पट्टा किया गया था, तथा एस0डी0एम0 द्वारा अपील में किये गये आदेश पर पुनः जांच हुई थी, और जांच उपरान्त पुनः दिनांक 19-9-06 को पट्टा आदेश हुआ था, तथा लक्ष्मीबाई को दिनांक 5-9-02 को कब्जा दिया गया जिसके दस्तावेज भी पेश किये हैं, इसलिये अपीलार्थी की अपील में कोई बल नहीं है, और अपीलार्थी छोटेलाल का ना तो 1984 से पूर्व कोई कब्जा था ना वर्तमान में है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित होकर पुष्टिकारक हैं, और अपील निरस्त की जाये।

26. जहां तक लक्ष्मीबाई के ग्राम चितौरा में निवास ना कर गोहद में निवास करने का बिन्दु उठाया गया है। यह निर्विवादित तथ्य है कि, ग्राम चितौरा गोहद तहसील के अंतर्गत ही आता है, इस तथ्य पर भी कोई विरोधाभास की स्थिति नहीं है कि, लक्ष्मीबाई भी अनुसूचित जाति की होकर विधवा महिला है। प्र0पी0-1 सी के रूप में जो पट्टा अभिलेख पर है उसमें भी लक्ष्मीबाई पत्नी स्वर्गीय जगदीश का उल्लेख है, जिसका मूल निवास ग्राम चितौरा का बताया गया है। ऐसे में यदि गोहद में वह निवास भी कर रही हो तब भी उससे भूमि के व्यवस्थापन में कोई विधिक बाधा होना परीलक्षित नहीं होता है, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्कों में आपत्ति ली है, इसलिये इस बिन्दु का कोई लाभ अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हो सकता है, और साक्ष्य में कोई मतदाता सूची दस्तावेज के रूप में प्रदर्शित नहीं हुई है तथा छायाप्रति के आधार पर कोई इस बावत कोई संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, इसलिये लक्ष्मीबाई का मतदाता सूची में कहीं नाम दर्ज हो उससे कोई प्रभाव नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यदि वर्तमान में मतदाता के रूप में कस्बा गोहद में नाम इन्द्राजीत हो तो भी उससे कोई अन्यथा निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि पट्टा जारी होने के दिनांक की स्थिति देखना होती है।

27. अभिलेख पर जो मौखिक साक्ष्य पेश हुई है, उसमें लक्ष्मीबाई वा.सा.-1 ने अपने अभिवचनों के अनुरूप मुख्य परीक्षण में तथ्य

बताये हैं । बैजनाथ वा.सा.-2 जो कि उसका रिश्ते में देवर लगता है और ग्राम चितौरा का ही निवासी है, उसने भी उसका समर्थन किया है, तथा भगवानदास वा.सा.-3 भी ग्राम चितौरा का ही निवासी होकर कृषि मजदूर हैं उसने भी समर्थन किया है, और इस आशय की स्पष्ट साक्ष्य दी है कि, लक्ष्मीबाई बेबा है अनुसूचितजाति की है, और उसे तहसीलदार से विधिवत जांच उपरांत विवादित भूमि का पट्टा हुआ था तथा दिनांक 5/9/02 को कब्जा सौंपा गया था, और बंटाकन होने के उपरांत सर्वे क्रमांक 42/2 कायम हुआ है, तथा लक्ष्मीबाई काबिज काशत है ।

28. लक्ष्मीबाई ने मतदाता सूची के क्रमांक 859 पर स्वयं के नाम इन्द्राजित होने के संबंध में यह कहा गया है कि उसने नाम इन्द्राजित नहीं कराया उसकी मां ने कराया होगा, लेकिन राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ करके फर्जी पट्टा करने से उसने साफ तौर पर इंकार किया है तथा उसने पैरा-15 में विवादित भूमि की चतुर सीमायें भी स्पष्ट बताई हैं, और भूमि का स्पष्ट विवरण देते हुये कहा है कि, पट्टा वाली भूमि करीब साढ़े चार बीघा है जिसके तीन खेत हैं और एक ही लाईन में है, जिसके पूर्व में सरकारी बंबा, पश्चिम में गेंदालाल का खेत एक तरफ विनोद का खेत भी बताया है, जिसका वा.सा.-2 तथा वा. सा.-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में समर्थन किया है, और तात्विक स्वरूप की कोई विसंगति उनके मौखिक कथनों में उत्पन्न नहीं हुई है । वा.सा.-2 का रिश्ते का साक्षी होने के आधार पर अविश्वस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सिविल मामलों में रिश्ते के आधार पर साक्षी की विश्वसनीयता प्रश्नगत नहीं होती है ।

29. जहां तक अपीलार्थी/प्रतिवादी की मौखिक साक्ष्य का प्रश्न है छोटेलाल प्र0सा0-1 ने अपने मुख्य परीक्षण में स्वयं को ग्राम चितौरा का स्थाई निवासी बताते हुये विवादित भूमि पर सन् 1984 के पूर्व से निरन्तर काबिज काशत बताया है, किन्तु वह कब से काबिज काशत है इसका कोई निश्चित समय या तारीख नहीं बताई गई है । जहां तक उसका भूमिहीन कृषि मजदूर होने का प्रश्न है इसके संबंध में अभिलेख पर उसकी और से कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं, ना ही कोई राजस्व अभिलेख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है, जो अपीलार्थी/प्रतिवादी छोटेलाल का सन् 1984 या उसके पूर्व से काबिज होना दर्शित करता हो उसका किसी प्रकार के अतिक्रमण होने की भी दस्तावेजी साक्ष्य से पुष्टि नहीं है, क्योंकि धारा 248 म0प्र0 भू0रा0सं0 के तहत जुर्माना किये जाने संबंधी कोई रसीद भी प्रकरण में पेश नहीं है । प्र0डी0-6 के रूप में जो पंचनामा उसकी और से पेश किया गया है सर्वप्रथमतो पंचनामा कब्जा की साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है दूसरी और पंचनामा के जारीकर्ता सरपंच या अन्य पंचगण में से कोई भी उसका साक्षी नहीं है, इसलिये प्र0डी0-6 के आधार पर कब्जे की पुष्टि नहीं होती है ।

30. छोटेलाल प्र0सा0-1 ने यह भी स्वीकार किया है कि फसल

चोरी के संबंध में लक्ष्मीबाई ने उसकी रिपोर्ट की थी, जिसका मुकदमा भी चल रहा है उसने पैरा-5 में यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि के पास में उसके और भी खेत है जो करीब एक डेढ़ बीघा का है जो उसने स्वतः में अपने भाई का होना बताया है जुर्माने की रसीद में लगाना बताया है, किन्तु कोई भी रसीदें अभिलेख पर नहीं है जब कि उसके साक्षी विनोद सिंह प्र0सा0-2 ने पैरा-2 में यह स्वीकार किया है कि ग्राम चितौरा में छोटेलाल के पास 7-8 बीघा जमीन है जो उसके चारों भाईयों की है । छोटेलाल की दो ढाई बीघा जमीन होगी, जिसका सर्वे नंबर 198 है वह एक खेत बगल में भी है । उक्त साक्षी के खेत भी लगे होना वह बताता है, और नारायण प्र0सा0-3 को लक्ष्मीबाई के पट्टे के संबंध में जानकारी नहीं है ।

31. इस तरह से स्वयं अपीलार्थी/प्रतिवादी की और से पेश की गई मौखिक साक्ष्य से इस बात की पुष्टि स्वमेव हो रही है । छोटेलाल भूमिहीन कृषि मजदूर की श्रेणी में नहीं आता है ना ही उसका दीर्घकालीन कोई कब्जा पाया गया है, ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा छोटेलाल का भूमिहीन कृषक मानने से इंकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है और आलोच्य निर्णय कंडिका-10 का निष्कर्ष पुष्टि योग्य है ।

32. ऐसे में पट्टा और कब्जे के संबंध में अभिलेख पर आई साक्ष्य को वादी/प्रत्यर्थी लक्ष्मीबाई की और से प्रस्तुत साक्ष्य अपीलार्थी/प्रतिवादी छोटेलाल की साक्ष्य से प्रबल होकर विश्वास योग्य पाई जाती है, जिसे स्वीकार करने में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तथ्य या विधि संबंधी कोई भूल नहीं किया जाना पाया जाता है ।

33. जहां तक यह बिन्दु उठाया गया है कि पट्टे के संबंध में एस0डी0एम0 ने जो जांच का आदेश दिया था उस पर कोई जांच नहीं हुई जिसके संबंध में लक्ष्मीबाई की और से मौखिक साक्ष्य में जांच की बात कही गई है, और इस संबंध में अभिलेख पर जो दस्तावेजी साक्ष्य में पेश है उनका अवलोकन किया जाये तो अभिलेख पर ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं हुआ जिससे यह स्थापित होता है कि लक्ष्मीबाई भूमिहीन महिला नहीं थी, बल्कि प्र0पी0-1 का जो पट्टा हुआ है, जिसके संबंध में छोटेलाल की और से प्र0डी0-3 की जो आपत्ति की गई उसकी जांच होना परीलक्षित होता है जो कि प्र0डी0-4 और प्र0डी0-5 से दर्शित होता है ।

34. प्र0डी0-5 की प्रति प्र0पी0-4 के रूप में लक्ष्मीबाई की और से भी पेश की गई है, और प्र0पी0-5 के रूप में हल्का पटवारी का प्रतिवेदन तथा उसका पंचनामा एवं प्र0पी0-6 के रूप में राजस्व निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन मय पंचनामा के पेश किये गये हैं, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि, जांच हुई जांच होने की पुष्टि एस0डी0एम0 के आदेश दिनांक 22/5/03 से भी होती है जो प्र0पी0-2 के रूप में पेश

किया गया है, जिसमें तहसीलदार का राजस्व प्रकरण क्रमांक 26/2001-2002 अ X 19 आदेश दिनांक 24-11-2001 को नियमानुसार और विधि सम्मत पाते हुये स्थिर रखा गया है, तथा प्र0डी0-3 के एस0डी0एम0 के आदेश दिनांक 30-6-06 अनुसार भी छोटेला ल को राजस्व पुस्तिका परिपत्र 4 (3) या (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत पात्र श्रेणी का नहीं माना है और उस समय ग्राम के पात्र भूमिहीन की सूची प्राप्त की जाकर पात्रता की श्रेणी में आने वाले भूमिहीन को वादग्रस्त भूमि का बंटन किये जाने का निर्देश दिया गया था। स्वीकृत तथ्य मुताबिक उक्त बिन्दु का अंतिम रूपेण निराकरण हो चुका है जो कि अभिलेख पर प्रस्तुत प्र0पी0-1 से आयुक्त चंबल संभाग के आदेश से स्पष्ट होता है, जिससे भी लक्ष्मीबाई को जांच उपरांत पात्र माना जाना निर्धारित किया गया, और अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष पूर्णतः विधि सम्मत है कि बंटन की पात्रता के संबंध में राजस्व न्यायालय ही सक्षम न्यायालय है सिविल न्यायालय को इस संबंध में क्षेत्राधिकार नहीं है।

35. लक्ष्मीबाई के जहां तक निवास का प्रश्न है उसके संबंध में अभिलेख पर दस्तावेजी प्रमाण में प्र0पी0-8 का परिवार परिचयपत्र पेश किया गया है। प्र0पी0-9 मुताबिक उसके पट्टे के आधार पर बेदखल खारिजा भी हो चुका है और प्र0पी0-1 का पट्टा अहस्तान्तरणीय प्रकृति का है, उसी अनुरूप उसका खसरा अभिलेख में इन्द्राज भी हुआ है इन दस्तावेजों से भी लक्ष्मीबाई वादी/प्रत्यर्थी के भूमि प्राप्त करने के पात्र होने एवं उसे पट्टे के तहत विधिवत भूमि पर काबिज प्राप्त होने की पुष्टि होती है, और अपीलार्थी का यह तर्क कि उसे बेदखल करने का कोई प्रमाण नहीं है वह स्वीकार योग्य नहीं है।

36. प्र0डी0-2 नायब तहसीलदार वृत्त देहगांव परगना गोहद की दिनांक 5-9-06 की आदेश पत्रिका पर से कोई अन्यथा निष्कर्ष प्राप्त नहीं होता जिसमें राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट पेश ना होना और प्रतीक्षा का उल्लेख है, क्योंकि राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट प्र0पी0-6 अभिलेख पर उपलब्ध है तथा प्र0डी0-1 के रूप में आयुक्त चंबल संभाग का आदेश दिनांक 11/5/04 की प्रमाणित प्रतिलिपि राजस्व अपील क्रमांक 55/2002-2003 की पेश की गई है, उसके पश्चात आयुक्त चंबल संभाग की ही निगरानी क्रमांक 97/2007-2008 आदेश दिनांक 17-8-10 भी अभिलेख पर है।

37. ऐसे में अपीलार्थी/प्रतिवादी के दस्तावेजों के पश्चात विधिक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है इसलिये उन दस्तावेजों से अपीलार्थी के पक्ष में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

38. इस प्रकार से अपीलार्थी/प्रतिवादी छोटेला ल की ओर से प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील में उठाये गये बिन्दु व लिये गये आधार विधिक बल नहीं रखते हैं। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा

अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये गये न्याय दृष्टांतों को अपील स्तर पर इस न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है, इसलिये उनके संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है, और अपीलार्थी/प्रतिवादी के दीर्घकाल का कोई कब्जा ना पाया जाना तथा उसके पक्ष में कोई राजस्व प्रमाण ना होने से छोटेलाल के विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 47 मिन रकवा 0.89 ग्राम चितौरा तहसील गोहद पर आधिपत्यधारी होने की कोई उपधारणा निर्मित नहीं की जा सकती है ।

39. ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित आलोच्य निर्णय दिनांक 18-11-10 पुष्टि योग्य है और उसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है, परिणामतः अपीलार्थी/प्रतिवादी प्रस्तुत अपील के माध्यम से पट्टा निरस्ती और स्वयं के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने का पात्र नहीं पाया जाता है । फलस्वरूप प्रस्तुत प्रथम सिविल अपील सारहीन मानते हुये निरस्त की जाती है ।

40. प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुये उभय पक्ष अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे ।

41. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा तालिका मुताबिक जो भी कम हो जोडा जाये ।

तदनुसार डिक्री तैयार हो ।

दिनांक— 16/10/2014

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।
एवं दिनांकित कर पारित किया गया ।

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी0सी0आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)